कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतपुड़ा भवन, प्रथम-तल, मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक/एफ--10/बजट/2764 भोपाल, दिनांक 7.12.09

प्रति,

वन मण्डल अधिकारी

विदिशा (सा.) वनमंडल विदिशा,

मध्यप्रदेश

विषय:- कैम्पा मद में जमा राशि से समतुल्य राजस्व क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

----0----

दिनांक 4.12.09 को आयोजित प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तरीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष यह प्रस्तावित किया गया था कि समतुल्य राजस्व क्षेत्र की भूमि पर प्रकरणवार योजनाओं के क्रियान्वयन में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता संभावित है क्योंकि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में भारत सरकार स्तर से समय पर अनुमति न मिल पाने के कारण लगभग 1 से 5 वर्ष का विलम्ब हुआ है जिसके फलस्वरूप पारिश्रमिक एवं सामग्री की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथा मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम 75 प्रतिशत जीवितता सुनिश्चित किया जाना है। विचारोपरांत समिति द्वारा कैम्पा मद में क्षतिपूर्ति वनीकरण से संबंधित राशि की विमुक्ति के सम्बन्ध में यह निर्देश दिए गए हैं की राजस्व क्षेत्र में आज की स्थिति में क्रियान्वयन हेतु इन योजनाओं की स्थल विशेष योजना पुनः तैयार की जाए।

दिनांक 4.12.09 को आयोजित बैठक में संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार वृक्षारोपण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रति हेक्टेयर अनुमानित आवश्यक राशि पर सिद्धांतः सहमती दी गयी है। यदि स्थल विशेष योजना हेतु इससे अधिक व्यय आता है, तो अतिरिक्त व्यय का बिन्दुवार पूर्ण औचित्य भी प्रेषित किया जाये।

उक्त निर्देशों के पालन में आपके वनमंडल की दानमणी परियोजना 79.262 हेक्टेयर एवं संजय सागर परियोजना 304.00 हेक्टेयर हेतु 7 वर्षीय वृक्षारोपण योजना स्थल के मानचित्र सहित मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से दिनांक 10.12.09 तक इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि राशि विमुक्त किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- परिशिष्ट-1

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
म०प्र० भोपाल

पृ.क्र./एफ--10/बजट/2765 भोपाल, दिनांक 7.12.09

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) भोपाल वृत्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
म०प्र० भोपाल

परिशिष्ट-1

वृक्षारोपण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रति हेक्टेयर अनुमानित आवश्यक राशि

राशि लाख रू. में

हेक्टेयर	चौकीदारी	फेंसिंग	भूमि तैयरी/रोपण/सिंचाई संबंधी समस्त व्यय	योग	प्रति हेक्टेयर व्यय
1 ha.	4.00	2.00	2.50	8.50	8.50
2 ha.	4.00	2.83	4.50	11.33	5.66
3 ha.	4.00	3.47	6.75	14.22	4.74
5 ha.	4.00	4.48	10.00	18.48	3.69
10 ha.	4.00	6.33	17.00	27.33	2.73
25 ha.	4.00	10.00	40.00	54.00	2.16
50 ha.	8.00	14.14	65..36	87.50	1.75
100 ha.	12.00	20.00	93.00	125.00	1.25